उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड–249404

संख्या :: 283 / 02/E-05/DR/Pol. Const./2022-23 दिनाँक :: 10 मार्च, 2023

विस्तृत विज्ञप्ति

पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी / पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0 / अग्निशामक (पुरूष / महिला) परीक्षा–2021 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी / पी0ए0सी0 / आई0आर0बी0 / अग्निशामक(पुरूष / महिला) परीक्षा–2021 हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्याः 42 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दिनांकः 18 दिसम्बर, 2022 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर मा0 आयोग द्वारा औपबन्धिक रूप से अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा घोषित की गयी है।

02– प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन –पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदशिका–2022 के आलोक में किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अर्ह अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2022 (यथा संशोधन) में विहित प्राविधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणााम घोषित किया जायेगा।

03– अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए, सन्निरीक्षा का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 20 मार्च, 2023 को किया जाना प्रस्तावित है–

अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांकः 20 मार्च , 2023

1142000010386	1542000006347	1542000008704	1542000010470	1642000013519
1742000022547	1742000024583	1742000024599	1742000033054	1742000034107
1742000037545	1742000037551	1842000003639	1942000001399	2042020001640
2242020002584	2342020000199	2342020001675	1442000026186	1742000017724
1742000017952	1942000010522	2142000003978	TOTAL - 23	

नोट– अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(4) इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए, समस्त प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 02 सैट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे–

(क) आनॅलाइन आवेदन पत्र (अनुक्रमांक सहित)।

(ख) विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form)**(प्रपत्र संख्या–02)

(ग) प्रमाणीकरण–पत्रक **(Attestation Form)** (प्रपत्र संख्या–03)

(ध) देशना–पत्रक **(Index Card)** (प्रपत्र संख्या–04)।

05– अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाईन आवेदन में किए गये दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगेः–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण –पत्र। (यदि लागू हो)।
4) आरक्षण एंव स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।
5) विज्ञापन के बिन्दु सं0–08 में उल्लिखित प्राविधानानुसार '' उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिको एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो

सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

कोई एक अर्हता धारित करता हो संबंधी प्रमाण–पत्र/अभिलेख।

6) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

7) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।

8) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र **(Affidavit)** अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।

9) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 42 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड–पे 2000) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची **(Salary Slip)** अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

10) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते है और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक–तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र (Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

11) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

12) अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन भरे गये वरीयता प्रपत्र की छायाप्रति।

13) उपरोक्त क्रमांक 1 से 12 पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। **(अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर लें)।**

06– यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

07– यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग

कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

08) आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

09) अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड से संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

-Sd-

(अवधेश कुमार सिंह)

प्र0 सचिव।